

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936 No. 532] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 725(अ).—राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मार्च, 2014 से आंध्र प्रदेश की विधान सभा को निलंबित करते हुए आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने वाली एक उद्घोषणा जारी की गई थी;

और, 2 जून, 2014 से अर्थात् भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 655(अ), तारीख 4 मार्च, 2014 द्वारा अधिसूचित नियत दिन से,नए राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगानाके निर्माण का उपबंध करने के लिए 1 मार्च, 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया था:

और, संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (5)के साथ पठित, उक्त अनुच्छेद खंड (3) के उपखंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 मार्च, 2014 को श्री कंठेती सत्यनारायण राजू, श्री नंदी येल्लैया और श्रीमती टी. रत्ना बाई को आंध्र प्रदेश की विधान परिषद् का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया था ;

और, राज्य में उस समय विद्यमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, 28 अप्रैल, 2014 से पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा को विघटित करते हुए राष्ट्रपति शासन पुन: अधिरोपित किया गया था ;

और, श्री कंठेती सत्यनारायण राजूऔर श्रीमती टी. रत्ना बाई ने क्रमश: 5 मई, 2014 और 9 मई, 2014 को आंध्र प्रदेश की विधान परिषद् के सदस्य के रूप में शपथ ली और श्री नंदी येल्लैया ने 22 मई, 2014 से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया :

और, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अप्रैल, 2014 को अधिरोपित राष्ट्रपति शासन 1 जून, 2014 को, जहां तक इसका संबंध, नियत दिन अर्थात् 2 जून, 2014 को उस राज्य में नई सरकार के गठन को सुकर बनाने के लिए तेलंगाना के उत्तरवर्ती राज्य से है, आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था ;

4079 GI/2014 (1)

और, उक्त अधिनियम के उपबंध, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए विधान परिषद् का उपबंध करते हैं ;

और, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यों की सूची के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

अत:, अब, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 108 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थातु :--

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 है।
 - (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- 2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की चौथी अनुसूची में, शीर्षक "आंध्र प्रदेश की विधान परिषद्" के अधीन, उपशीर्षक "नामनिर्दिष्ट सदस्य" के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
 - "(6) कंठेती सत्यनारायण राजू, (7) टी. रत्ना बाई ।"। नईदिल्ली; (प्रणबमुखर्जी) 11 अक्तूबर, 2014 राष्ट्रपति

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 14th October, 2014

G.S.R. 725(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution with effect from 1st March, 2014, a Proclamation was issued by the President imposing President's Rule in the State of Andhra Pradesh keeping the Legislative Assembly of Andhra Pradesh under suspended animation;

And whereas the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (hereinafter referred to as the said Act) was enacted on 1st March, 2014 to provide for formation of new States of Andhra Pradesh and Telangana with effect from 2nd June, 2014, i.e., the appointed day notified by the Ministry of Home Affairs, Government of India *vide* notification number S.O. 655 (E), dated the 4th March, 2014;

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-clause (e) of clause (3) of article 171 of the Constitution, read with clause (5) of that article, the Governor of Andhra Pradesh on 3rd March, 2014 nominated Shri KanthetiSatyanarayana Raju, Shri Nandi Yellaiah and Smt. T. RatnaBai to be the members of the Andhra Pradesh Legislative Council;

And whereas in view of the then prevailing political situation in the State, the President's Rule was re-imposed by a subsequent Proclamation dissolving the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh with effect from 28^{th} April, 2014;

And whereas Shri Kantheti Satyanarayana Raju, and Smt. T. Ratna Bai took oath as members of the Legislative Council of Andhra Pradesh on 5th May, 2014 and 9th May, 2014, respectively and Shri Nandi Yellaiah resigned his seat with effect from 22nd May, 2014;

And whereas in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution, the President's Rule imposed on 28th April, 2014 was partially revoked on 1st June, 2014 in so far as it relates to the successor State of Telangana to facilitate the formation of new Government in that State on the appointed day, i.e., 2nd June, 2014;

And whereas the provisions of the said Act provides for a Legislative Council for each of the successor States of Andhra Pradesh and Telangana;

And whereas a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of sub-section (2) of section 22 of the said Act in relation to the list of members of the Legislative Council of Andhra Pradesh specified in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 108 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the President hereby makes the following Order, namely:—

- **1.** (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2014.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** In the Fourth Schedule to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, under the heading "Legislative Council of Andhra Pradesh", under the sub-heading "Nominated Members", after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:—
 - "(6) Kantheti Satyanarayana Raju, (7) T.RatnaBai.".

(PRANAB MUKHERJEE)
President

New Delhi; the 11th October, 2014

KUMAR ALOK, Jt. Secy.